02/3/2020

पत्रांक–03/नमामि गंगे–06–03/2018(पार्ट) 516 न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

आदेश

मोतिहारी स्थित मोतीझील के संरक्षण एवं जीर्णोधार योजना हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या–05 दिनांक–29.04.2019 द्वारा केन्द्रांश की राशि रू0 6.5965 करोड़ तथा राज्यादेश संख्या–06 दिनांक–29.04.2019 द्वारा अनुपातिक राज्यांश रू0 4.397 करोड़ की निकासी की स्वीकृति दी गई थी। कार्यकारी एजेंसी, बुडको द्वारा राशि की माँग नहीं किए जाने के कारण अभी तक राशि की निकासी कोषागार से नहीं की गई है। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, मोतिहारी के पत्रांक–2221 दिनांक–08.08.2019 द्वारा सूचना दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि की निकासी की संभावना नहीं रहने के कारण वर्णित दोनो स्वीकृत्यादेश को रद्द किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि की आवश्यकता से संबंधित माँग पत्र प्राप्त होने के पश्चात् पुनः नए सिरे से राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव,

ज्ञापांक–03/नमामि गंगे–06–03/2018(पार्ट) 516 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक–02/3/2020
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मोतीहारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतीहारी/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.2020
सरकार के विशेष सचिव।